

30<sup>03</sup>/<sub>22</sub> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सार्थी व पशुकायन अनुपस्थित  
बार-2 आवाजे लगायी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।  
अन्तिम आवाज सायं 5:00 बजे लगायी गई परन्तु कोई  
उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम  
पेवनी में खारिज की जाती है। पत्रावली निश्चित नुम्बर  
होकर दफ्तर काबिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से नम  
है।

उप खण्ड अधिकारी  
वीपलू (टॉक)